"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 203] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 जुलाई 2009—श्रावण 8, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 01-09/18/2009.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) (क) के अधीन नगर पंचायत-सूरजपुर, जिला-सरगुजा को लघुत्तर नगरीय क्षेत्र होने के कारण नगर पालिका परिषद्-सूरजपुर, जिला-सरगुजा के रूप में गठित करता है. नगर पंचायत-सूरजपुर की सीमाएं ही नगर पालिका परिषद्-सूरजपुर की सीमाएं होंगी.

Raipur, the 30th July 2009

NOTIFICATION

No. F 01-09/18/2009.—In exercise of the powers conferred by Section 5 (1) (a) of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby constitutes Nagar Panchayat, Surajpur, District-Sarguja as Municipal Council, Surajpur as it has taken a form of smaller urban area. The boundaries of the Nagar Panchayat, Surajpur will be boundaries of Municipal Council Surajpur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.